

## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा परिणामों का उल्लेख करती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) की प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) के अनुसार सम्मिलित कम्पनियाँ) की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक द्वारा अभिप्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा, सी0ए0जी0 के अधिकारियों द्वारा, की जाती है और जिसपर सी0ए0जी0 अपनी टिप्पणी देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षक (सन्‌दी लेखाकार) के प्रतिवेदनों को समपूरक करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों की सी0ए0जी0 द्वारा नमूना जाँच भी की जाती है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19—क के अन्तर्गत विधान सभा के पटल पर उपस्थापित करने हेतु सी0ए0जी0, सरकारी कम्पनी एवं सांविधिक निगम की लेखाओं की संबंध में, प्रतिवेदन, सरकार को सुपुर्द करती है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2014–15 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये और साथ—साथ वे मामले भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे। 2014–15 के उपरान्त की अवधि से सम्बन्धित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामलों में लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप, संचालित की गई हैं।